



कार्यालय जिला पंचायत जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 07836-232885, fax No. - 07836-234233, Email ID zp-koriya.cg@nic.in, website: www.korea.gov.in

क्रमांक /3795/ प्रधा.मं.आ.यो.ग्रा/आ.मि./2024-25

बैकुण्ठपुर कोरिया, दिनांक 27/08/2024

प्रेस विज्ञापित

संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 891/274/प्र.मं.आ.यो.-ग्रा. अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 30/07/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत हितग्राहियों के उन्मुखीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन, समय सीमा पर आवास की पूर्णता एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय कोरिया में 20/09/2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से 20/09/2024 को कार्यालयीन समय तक प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। योजनान्तर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला कोरिया के वेब-साईट <https://korea.gov.in> पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

पृ0क्रमांक /3796/ प्रधा.मं.आ.यो.ग्रा/आ.मि./2024-25
प्रतिलिपी :-

बैकुण्ठपुर कोरिया, दिनांक 27/08/2024

1. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला - कोरिया को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त संचालक जन संपर्क, जिला- कोरिया को दैनिक सामाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर एवं सोनहत को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

कार्यालय जिला पंचायत, कोरिया (छ.ग.)

नियम एवं शर्तें :-

1. कलस्टर निर्माण :-

जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर कलस्टर के निर्माण पश्चात प्रत्येक समूह में 01 "आवास मित्र / समर्पित मानव संसाधन" रखा जाना है। यथासंभव एक कलस्टर में अधिकतम 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा। कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जायेगा। कलस्टर अंतर्गत निवासरत् व्यक्ति ही संबंधित कलस्टर हेतु आवेदन कर सकेंगे। कलस्टर की सूची शुलभ अवलोकन हेतु संलग्न है जिसका अवलोकन जिला कोरिया के वेब-साईड <https://korea.gov.in> पर किया जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।

2. शैक्षणिक योग्यता :-

- बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी "समर्पित मानव संसाधन" चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- "समर्पित मानव संसाधन" चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्त किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर से सेवा ली जावेगी।
- "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व सहायता समूह (SHG) के सदस्य, वेयर फुट टेक्निशियन (BFT), बैंक सखी एवं अधिनस्थ अमले का भी नियमानुसार चयन कर सकते हैं।

3. चयन का आधार :- अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार Weightage दी जावेगी :-

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण - न्यूनतम 65 अंक
2. बी.ई./डिप्लोमा/एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण - 15 अंक
3. पूर्व में कार्यरत आवास मित्र - 20 अंक
4. वेयर फुट टेक्निशियन (BFT) - 10 अंक
5. महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी - 10 अंक

4. आवेदन :- आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के उपर जनपद पंचायत व कलस्टर का नाम अवश्य लिखना होगा।

5. आयु :- "समर्पित मानव संसाधन" हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

6. चयन समिति :- जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा



क्रमांक.....

जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित क्लस्टर में "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में ली जावेगी। यह सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं कभी भी बगैर पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

7. प्रोत्साहन राशि:- "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 - "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रु./ की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 - "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि कोई आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
 - 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात्।
 - 300 रुपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
 - 400 रुपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा आवास लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।
8. राशि का भुगतान :- "समर्पित मानव संसाधन" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत 1.7% Contingency मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद द्वारा भुगतान किया जावेगा।
9. समयावधि :- "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि कोई आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
10. अवधि की गणना :- "समर्पित मानव संसाधन" के लिए कार्य प्रारम्भ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी। समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. जॉब चार्ट :-
 - हितग्राही का उन्मुखीकरण करना।
 - 12 माह की समय-सीमा में आवास पूर्ण कराना।
 - आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायत दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
 - हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय कराना।
 - आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित कराना।
12. विशेष:-
 - चयनित "समर्पित मानव संसाधन" प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - समर्पित मानव संसाधन" चयन की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया का मान्य होगा।

कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0

क्र	जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	कलस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पान पी. डबल्यू एन संख्या	पान आवास प्लन संख्या	कलस्टर में आवास संख्या	कलस्टर में आवास प्लन की संख्या	आवास मित्र / समर्थित मानव संसाधन की संख्या
1	Baikunthpur	AAMAPARA	AAMAPARA	53	142	134	515	1
	Baikunthpur		CHARPARA	14	36			
	Baikunthpur		JATESAMAR	10	0			
	Baikunthpur		BARPARA	0	209			
	Baikunthpur		JHARNAPARA	57	128			
2	Baikunthpur	KHANDA	KHANDA	63	88	150	423	1
	Baikunthpur		KHODARI	1	229			
	Baikunthpur		JAMGAHNA	86	106			
3	Baikunthpur	MAHORA	MAHORA	91	92	93	99	1
	Baikunthpur		DABRIPARA	2	7			
4	Baikunthpur	KASRA	KASRA	136	88	136	88	1
5	Baikunthpur	GIRJAPUR	GIRJAPUR	103	59	103	59	1
6	Baikunthpur	KUDELI	GOLHAGHAT	15	0	155	266	1
	Baikunthpur		KADAMNARA	48	20			
	Baikunthpur		KUDELI	92	246			
7	Baikunthpur	RANAI	TENDUAA	139	266	195	344	1
	Baikunthpur		RANAI	56	78			
8	Baikunthpur	Bhandl	KHUTRAPARA	32	0	114	446	1
	Baikunthpur		Bhandl	0	303			
	Baikunthpur		KANCHANPUR	82	143			
9	Baikunthpur	MODIPARA	BADGAON	30	239	102	406	1
	Baikunthpur		PATRAPALI	26	0			
	Baikunthpur		DHOBHAPANI	2	0			
	Baikunthpur		JAMPANI	15	33			
10	Baikunthpur	AAMGAON	MODIPARA	29	134	129	187	1
	Baikunthpur		AAMGAON	76	171			
11	Baikunthpur	AANI	CHERWAPARA	53	16	112	193	1
	Baikunthpur		AANI	91	104			
12	Baikunthpur	MANSUKH	URUMDUGA	21	89	73	517	1
	Baikunthpur		SALBA	15	95			
	Baikunthpur		AMARPUR	22	0			
	Baikunthpur		MANSUKH	0	174			
	Baikunthpur		POTEDAND	17	86			
	Baikunthpur		CHILKA	15	156			
13	Baikunthpur	AMHAR	DOHDA	4	6	137	255	1
	Baikunthpur		TARGANWA	41	113			
	Baikunthpur		AMHAR	51	60			
	Baikunthpur		RAMPUR-P	19	82			
14	Baikunthpur	PUTA	SHIVPUR	26	0	130	176	1
	Baikunthpur		PUTA	39	90			
	Baikunthpur		ANGA	24	0			
15	Baikunthpur	BARDIYA	MURMA	67	86	107	472	1
	Baikunthpur		BARDIYA	29	189			
	Baikunthpur		KHARHIYAKHANI	9	72			
	Baikunthpur		KATORA	39	84			
	Baikunthpur		KATKONA	30	127			
16	Baikunthpur	NARKELI	NARKELI	16	173	90	311	1
	Baikunthpur		MUDIYARIYA	35	0			
	Baikunthpur		SARAIGAHANA	35	106			
	Baikunthpur		BASTI	4	32			
17	Baikunthpur	TENNGI	KHOND	18	159	78	448	1
	Baikunthpur		TENNGI	25	144			
	Baikunthpur		TEMRI	23	0			
	Baikunthpur		SORGA	2	98			
	Baikunthpur		BILARO	10	47			
18	Baikunthpur	NAGAR	JAGATPUR	87	62	148	194	1
	Baikunthpur		NAGAR	61	132			
19	Baikunthpur	BHANDARPARA	UMJHAR	41	43	96	365	1
	Baikunthpur		BISHUNPUR	21	6			
	Baikunthpur		BHANDARPARA	0	105			
	Baikunthpur		PHOOLPUR	20	64			
	Baikunthpur		JUNAPARA	14	147			
20	Baikunthpur	SARA	SARA	33	82	136	393	1
	Baikunthpur		GADBADI	6	147			
	Baikunthpur		SALKA	90	64			
	Baikunthpur		RATGA	7	100			
21	Baikunthpur	CHHINDIYA	CHHINDIYA	57	240	125	346	1
	Baikunthpur		CHIRGUDRA	68	106			
22	Baikunthpur	CHAMPAJHAR	CHAMPAJHAR	0	83	82	134	1
	Baikunthpur		DAKAIPARA	82	51			
23	Baikunthpur	PIPRA	PIPRA	85	117	118	229	1
	Baikunthpur		JAMDI	33	112			
24	Baikunthpur	KARJI	KARJI	67	234	119	441	1
	Baikunthpur		SANVARANVA	52	207			
25	Baikunthpur	PATNA	PATNA	151	212	151	212	1
26	Baikunthpur	DUMARIYA	DUMARIYA	227	89	227	89	1
27	Baikunthpur	BUDAR	BUDAR	371	414	371	414	1
28	Baikunthpur	SARBHOKA	SARBHOKA	257	179	257	179	1
Total				3868	8201	3868	8201	28

कार्यालय जनपद पंचायत सोनहत, जिला – कोरिया छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र चयन/आवेदन हेतु कलस्टर का विवरण

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	कलस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पात्र पी. डब्ल्यू.एल. संख्या	पात्र आवास प्लस संख्या	कलस्टर में आवास संख्या	कलस्टर में आवास प्लस की संख्या	आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन की संख्या
1	Sonhat	Banshipur	aklasarai	23	57	98	298	1
	Sonhat		kachohar	7	33			
	Sonhat		kishori	33	15			
	Sonhat		banshipur	11	25			
	Sonhat		chandaha	8	112			
	Sonhat		nawatola	16	56			
2	Sonhat	Bhainswar	bhainswar	53	175	103	207	1
	Sonhat		chakdand	50	32			
3	Sonhat	Damuj	baser	36	58	113	220	1
	Sonhat		damuj	27	8			
	Sonhat		pusla	15	54			
	Sonhat		kachhar	13	56			
	Sonhat		madhla	22	44			
4	Sonhat	Kailashpur	kailashpur	50	220	136	442	1
	Sonhat		bodar	52	60			
	Sonhat		beliya	16	64			
	Sonhat		salgawakala	18	98			
5	Sonhat	Katgodi	katghodi	50	37	141	143	1
	Sonhat		baswahi	19	7			
	Sonhat		keshgawa	30	48			
	Sonhat		madhaura	22	11			
	Sonhat		tanajara	20	40			
6	Sonhat	Kusha	kusha	11	45	153	154	1
	Sonhat		ghughra	116	44			
	Sonhat		odari	26	65			
7	Sonhat	Latma	naugai	54	13	132	157	1
	Sonhat		latma	41	93			
	Sonhat		majhartola	12	7			
	Sonhat		rautsarai	8	10			
	Sonhat		sundarpur	17	34			
8	Sonhat	Pondi	pondi	61	43	121	359	1
	Sonhat		rajaoli	40	180			
	Sonhat		kochhadi	5	81			
	Sonhat		mendra	15	55			
9	Sonhat	Ramgarh	amratpur	17	0	142	285	1
	Sonhat		natwahi	21	110			
	Sonhat		ramgarh	16	72			
	Sonhat		singhor	16	71			
	Sonhat		ughwan	10	0			
	Sonhat		anandpur	46	19			
	Sonhat		daser	16	13			
10	Sonhat	Sonhat	sonhat	123	151	123	151	1
Total :-				1262	2416	1262	2416	10

कार्यालय जिला पंचायत जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 07836-232885, fax No. – 07836-234233, Email ID zp-koriya.cg@nic.in, website: www.korea.gov.in

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/09/2024

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव" संसाधन हेतु

आवेदन पत्र जनपद पंचायत क्लस्टर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया (छ.ग.)
पिन कोड 497335

आवेदक का
अभिप्रेमाणित पासपोर्ट
साईज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम – (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

2. पिता/पति का नाम – (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

3. जन्म तिथि (अंकों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

शब्दों में

दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु –वर्ष.....माह.....दिन
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. लिंग – पुरुष/महिला (✓ का निशान लगाएं)

5. जाति (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें –
(अनारक्षित प्रवर्ग होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

6. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? –
(छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्या निःशक्त हैं ? – यदि हाँ तो, निशक्तता का प्रतिशत% एवं निशक्तता का प्रकार (अस्थि/श्रवण/दृष्टि/अन्य) –
(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैद्य/अद्यतन निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

7. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं ? (हाँ/नहीं) –

8. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	एम.ए.(ग्रामीण विकास)					
4	बी.ई.सिविल/डिप्लोमा सिविल					
5	अन्य विज्ञापन में निर्दिष्ट					

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (हाँ/नहीं) -(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. क्या आप वर्तमान में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं ? (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो संस्था का नाम(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. पत्राचार का पता -

.....मो.नं

12. स्थायी पता -

.....मो.नं

13. यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र/बेयर फुट टेक्निशियन/महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
		से.....
		कुल अवधि

14. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) -
15. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि -..... बच्चों की संख्या
- सभी बच्चों की जन्मतिथि -
- (सुरपंच/पार्षद द्वारा जारी विवाह प्रमाण एवं जीवित संतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं विवाहित महिला अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

16. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र -

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे "आवास मित्र /समर्पित मानव संसाधन" के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान:-

दिनांक:-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम -

नोट :- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कड़िकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों निम्नांकित क्रम में रखे जावे तथा ✓ का निशान लगावें।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र।
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र।
3. एम.ए. (ग्रामीण विकास)।
4. बी.ई.सिविल/डिप्लोमा सिविल।
5. अन्य अनुभव (अन्य जो विज्ञापन में निर्दिष्ट हों)।
6. निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र।
7. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
10. छ.ग. निवास प्रमाण पत्र।